

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर**  
क्रमांक : नर्सिंग/जोन कोटा/सा.-70-01261/2025/ दिनांक:-

--: आदेश ::--

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मियों द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्त तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1.	कमलेश यादव, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	कोटा	13.05.1965	19.10.1992	31.05.2025
2.	रजिया सुलताना, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बून्दी	10.01.1965	09.03.1987	31.01.2025

नोट:- क्रम संख्या 01 से 02 पर अंकित कर्मचारियों के विरुद्ध आज दिनांक तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक:- 09/01/2025

क्रमांक : नर्सिंग/जोन कोटा/सा.-70-01261/2025/08

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
- अधीक्षक, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
- खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कापरेन, बून्दी।
- संस्थापन अधिकारी, राजहैल्थ/डी0पी0सी0 अनुभाग मुख्यालय।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :09-01-2025 12:43:48